तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/5137/2005/बून्दी** **राजस्थान सरकार बनाम कल्याण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्रीमती अर्चना गौतम, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ।

अप्रार्थी व अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

——

आदेश

दिनांकः— 07.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 01.08.2005 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, हिण्डोली ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम बड़ोदिया तहसील हिण्डोली के नामांतकरण संख्या 104 दिनांक 01.04.77 को निरस्त किया जावें। जिस पर न्यायालय जिला कलक्टर, बूंदी ने अपने निर्णय दिनांक 01.08.2005 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है ।

हमनें योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि नामांतकरण संख्या 104 में वर्णित ग्राम बड़ोदिया की भूमि की किस्म चारागाह दर्ज है। उक्त भूमि को तहसील स्तर से सीधे ही किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी को खातेदारी दी गई है, जबकि उक्त ग्राम कमाण्ड क्षेत्र में होने से आरक्षित मूल्य भी वसूल नहीं किया गया है। कमाण्ड क्षेत्र में खातेदारी देने हेतु तहसीलदार सक्षम नही है साथ ही भूमि की किस्म चारागाह को परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। उक्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में गलत रूप से अंकित कर दी गई है जो धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। नदी, नाले, तालाबों (प्राकृतिक स्त्रोतों), चारागाह की भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है । इन भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः उक्त भूमि बाबत् अप्रार्थी के हक में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर विवादित भूमि का राजस्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/5137/2005/बून्दी** **राजस्थान सरकार बनाम कल्याण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिकार्ड में अमल हुआ है, को निरस्त किया जावे तथा भूमि को पुनः चारागाह राजकीय के रूप में दर्ज किया जावे।

हमने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं जिला कलेक्टर, बूंदी की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

चूँकि सन् 1947 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित का चारागाह राजकीय भूमि होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''चारागाह, गैर मुमकिन नाली'' नदी, नाला, पोखर आदि किस्म की भूमियों में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-

(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि चारागाह, नदी/नाला/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/5137/2005/बून्दी** **राजस्थान सरकार बनाम कल्याण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं की जा सकती है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी चारागाह, नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी में विवादित आराजी विधि विरुद्ध दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड़ अनुसार विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म भूमि चारागाह राजकीय दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि का अप्रार्थी के खाते में किया गया इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है। परिणामतः जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 01.08.2005 के क्रम में मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम बड़ोदिया में स्थित वादग्रस्त आराजी के नामांतकरण संख्या 104 द्वारा अप्रार्थी के नाम दर्ज की खातेदारी को निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि को पूर्वानुसार चारागाह राजकीय दर्ज कर उसकी किस्म चारागाह राजकीय अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	